न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र सं0 02/2017

1.श्री यतीन्द्र शास्त्री पुत्र श्री अतर सिंह, सदस्य, पीपल फॉर एनिमल सिरोही (राज0) नि0 राम कोलोनी, श्रीनगर हाथी खेडा, अजमेर। .....प्रार्थी

बनाम

राज सरकार जरिये पुलिस थाना पुष्कर जिला अजमेर। ..... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र वास्ते सुपुर्दगी अन्तर्गत धारा 451 जाप्ता फौजदारी वास्ते उॅट सुपुदर्गीनामें पर देने बाबत
(प्रथम सूचना संख्या 16/2017 सरकार बनाम मलूब मौहम्मद वगैरह)

उपस्थित :– 1. श्री एस.के.भार्गव, शेखर सेन, नरेन्द्र सिंह राठौड अभि0 प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार

आदेश दिनांक– 10.05.2017

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र वास्ते सुपुदर्गीनामा अन्तर्गत धारा 451 जाप्ता फौजदारी के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 16.11.2016 को थाना पुष्कर में प्रथम सूचना संख्या 16/2017 अन्तर्गत धारा 3,5,8 राजस्थान उॅट वध प्रतिशोध अस्थाई प्रजनन या निर्यात विनियमन 2015 के तहत दर्ज की गई। दिनांक 18.11.2016 को 61 उॅट किशनगंज प्रान्त बिहार बोर्डर पर जब्त किये गये। इन उॅटों की देखभाल सही रूप से नहीं हो रही है। इनमें से तीन उॅट मर चुके है तथा बाकी की भी मृत्यु हो सकती है। प्रार्थी संस्था आम हित के लिए जानवरों की देखभाल के लिए पंजीकृत है। संस्थान की ओर से प्रार्थी यतीन्द्र सिंह अधिकृत है। संस्थान राजस्थान सरकार से स्वीकृत है तथा काफी साधन सम्पन्न एवं जानवरों की देखभाल करने में सक्षम है। प्रार्थी संस्था को उक्त उॅटों को सुपुर्दगीनामें पर नहीं दिये गये तो सही देखभाल के अभाव में इन की मृत्यु होने की सम्भावना है। प्रार्थी संस्था को सुपुर्दगीनामें पर दिये जाने पर जानवरों की देखभल सही रूप से होगी और न्यायालय जब भी उॅटों को तलब करेगी सही रूप से पेश करने को तैयार हैं। अतः प्रार्थी संस्था को किसनगंज बिहार में पकडे गये उॅटों को उन्हे सुपुर्दगी नामें पर लौटाये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर थानाधिकारी पुष्कर से पैरावाइज टिप्पणी मय केस डायरी तलब की गई। टिप्पणी मय केस डायरी प्राप्त होने पर प्रकरण वास्ते सुनवाई नियत किया गया। उपस्थित को सुना गया।

उपस्थित अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि दिनांक 18.11.2016 को 61 उॅट किशनगंज प्रान्त बिहार बोर्डर पर जप्त किये गये। दिनांक 16.01.2017 को थाना पुष्कर में प्रथम सूचना संख्या 16/2017 अन्तर्गत धारा 3,5,8 राजस्थान उॅट वध प्रतिशोध अस्थाई प्रजनन या निर्यात विनिमय 2015 के तहत दर्ज करवाई गई। इन उॅटों की देखभाल सही रूप से नहीं हो रही है। इनमें से तीन उॅट मर चुके है तथा बाकी की भी मृत्यु हो सकती है। प्रार्थी संस्था आम

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

तथा काफी साधन सम्पन्न एवं जानवरों की देखभाल करने में सक्षम है। संस्थान की ओर से प्रार्थी यतीन्द्र सिंह अधिकृत है। प्रार्थी संस्था को उक्त ऊँटों को सुपुर्दगीनामें पर नहीं दिये गये तो सही देखभाल के अभाव में इन की मृत्यु होने की सम्भावना है। प्रार्थी संस्था को सुपुर्दगीनामें पर दिये जाने पर जानवरों की देखभाल सही रूप से होगी। न्यायालय जब भी ऊँटों को तलब करेगी, संस्था, सही रूप से पेश करने को तैयार हैं। अतः प्रार्थी संस्था को किसनगंज बिहार में पकडे गये ऊँटों को सुपुर्दगी नामें पर लौटाये जाने के आदेश प्रदान करावें

पैरोकार सरकार का कथन है कि एफ. आई. आर नं0 16/2017 के द्वारा कोई ऊँट जप्त नहीं है। प्रार्थी/परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में खगडा मैला किशनगंज, प्रान्त बिहार सें 61 ऊँट जप्त किये जाने का उल्लेख किया गया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इन जप्त ऊँटों के सम्बन्ध में न्यायालय सी.जे.एम किशनगंज, बिहार में प्रकरण विचाराधीन है। तथा जप्त ऊँटों को सुर्पदगीनामें पर आरोपियों को सुपुर्द किये गये है। धारा 451 सी.आर.पी.सी. के तहत जप्त शुदा ऊँट/सामग्री सुर्पुर्दगीनामें पर छोडने के लिए " विचारण न्यायालय" ही अधिकृत है। यह न्यायालय विचारण न्यायालय नहीं है, एवं ना ही इस न्यायालय में इस सम्बन्ध में कोई प्रकरण दर्ज है। थानाधिकारी पुलिस थाना पुष्कर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट 16/17 में आरोपीगण से अनुसंधान/तफतीश शेष है। प्रश्नगत ऊँट पुलिस थाना किशनगंज प्रान्त बिहार की प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 543/2016 के तहत जप्त किये गयें है। इसलिए उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर प्रथमदृष्टया प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पोषणीय नही होने से खारिज किया जावें।

हमने कथनों पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का मय केस डायरी अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि पुलिस थाना किशनगंज बिहार की प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 543/2016 के तहत खगडा मैला किशनगंज, प्रान्त बिहार से प्रश्नगत ऊँट जप्त किये गयें है। जप्त ऊँटों को सुर्पदगीनामें पर आरोपियों को सुपुर्द किये जाने बाबत प्रस्तुत रिवीजन प्रार्थना पत्र के क्रम में माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय किशनगंज द्वारा मालिकाना हक बाबत जांच किये जाने के आदेश जारी किये गये है। इस बाबत जांच जारी है। न्यायालय सी.जे.एम किशनगंज, बिहार में प्रकरण विचाराधीन है। हम पैरोकार सरकार के इस तर्क से सहमत है कि धारा 451 सी.आर.पी.सी. के तहत जप्त शुदा ऊँट/सामग्री सुर्पुर्दगीनामें पर छोडने के लिए " विचारण न्यायालय" ही अधिकृत है। यह न्यायालय विचारण न्यायालय नहीं है, एवं ना ही इस न्यायालय में इस सम्बन्ध में कोई प्रकरण दर्ज है। पुलिस थाना पुष्कर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार एफ.आई. आर सं0 16/17 में आरोपीगण से अनुसंधान/तफतीश जारी है। लिहाजा उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर प्रथमदृष्टया प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पोषणीय नही होने से खारिज़ किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10.05.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

10/05/17

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner